

छत्तीसगढ़ शासन,
जल संसाधन विभाग,
मंत्रालय

महानदी भवन, नवा रायपुर—अटल नगर

क्रमांक ८० /एफ—१—१०१/३१/एस—२/२०२४,
प्रति,

नवा रायपुर, दिनांक ०६/०१/२०२५

✓मुख्य अभियंता,
हसदेव गंगा कछार,
जल संसाधन विभाग,
अंबिकापुर (छ.ग.)

विषय :— कोरिया जिले के विकासखंड—बैंकुण्ठपुर की गेज मध्यम परियोजना के आर.बी.सी. मुख्य नहर की आर.डी. 7000 मी. तक लाईनिंग कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति।
संदर्भ :— प्र.अ.का पत्र क्र.—२०१/बो.प्र./प्रशास्त्री./HGB/2024/6107, दिनांक 22.07.2024.

सूच्य शासन एतद द्वारा कोरिया जिले के विकासखंड—बैंकुण्ठपुर की गेज मध्यम परियोजना के आर.बी.सी. मुख्य नहर की आर.डी. 7000 मी. तक लाईनिंग कार्य हेतु राशि रु. 429.07 लाख (रु. चार करोड़ उनतीस लाख सात हजार) मात्र की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है।

2. प्रस्तावित कार्यों के उपरान्त योजना की रूपांकित सिंचाई क्षमता 1010 हेक्टेयर में 372 हेक्टेयर की हो रही कमी की पूर्ति तथा बचत जल से 48.10 हे. अतिरिक्त सिंचाई सहित कुल 1058.10 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी।
3. कार्य विभाग नियमावली की कांडिका 2.006 के नीचे दिये गये नोट ३(बी) एवं ३(सी) के अनुसार योजना की तकनीकी स्वीकृति दी जाकर एवं अन्य अभीष्ट औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात निर्माण कार्य प्रारंभ किया जावे तथा कार्य पूर्ण होने के उपरान्त योजना का पूर्णता प्रमाण—पत्र शासन को दिया जावे।
4. छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग—एक के नियम—१० के अनुसार मुख्य अभियंता का यह दायित्व है कि वे कार्य पर नियंत्रण रखें तथा उनके कार्यालय तथा अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा प्रशासकीय वित्तीय नियमों का पालन हो।
5. योजना पर व्यय बजट शीर्ष मांग संख्या—४१, अनुसूचित जनजाति उपयोजना, लेखा शीर्ष—४७०१, मध्यम सिंचाई पर पूंजी परिव्यय [१७] गेज, {४००}—अन्य व्यय, ०१०२—अनुसूचित जनजाति उपयोजना (३३६६) मध्यम परियोजनाओं निर्माण कार्य—#९७ निर्माण कार्य, ००३ बांध एवं नहर के अंतर्गत विकलनीय होगा।
6. वित्त विभाग द्वारा उनके जावक क्र. १९१२/बजट—२/वित्त/चार २०२४, दिनांक ३१.१२.२०२४ द्वारा सहमति प्रदान की गई है।
7. योजना का कार्य स्वीकृत राशि एवं निर्धारित समयावधि के अंतर्गत ही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। लागत वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी।
8. निर्माण कार्य की लागत में मितव्ययता को सुनिश्चित किया जावे।
9. संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालन अभियंता निर्माण कार्य की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करें।


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा अदेशानुसार



(प्रेमसिंह घरेन्नर)

अवर सचिव

 छत्तीसगढ़ शासन

जल संसाधन विभाग

पृष्ठा..... 81 / एफ-1-101/31/एस-2/2024,

नवा रायपुर, दिनांक 06/01/2025

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
2. निज सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी (निवास), छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर।
3. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
4. सचिव (वित्त), छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
5. सचिव, जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
6. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी, जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
7. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
8. कलेक्टर, जिला-कोरिया (छ.ग.)।
9. संचालक जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, अटल नगर।
10. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर।
11. उप संचालक, मंत्रालय प्रेस प्रकोष्ठ कक्ष क्र.-एम 4-22 अटल नगर।
12. अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस.यूनिट, कार्यालय प्रमुख अभियंता, शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर-अटल नगर।
13. अधीक्षण अभियंता, श्याम बरनई परियोजना मण्डल अंबिकापुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.)।
14. कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग बैकुण्ठपुर, जिला-कोरिया (छ.ग.)।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
15. आदेश फोल्डर।


अवर सचिव
 छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग